न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–33/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जोरावर सिंह पुत्र स्व0 श्री करेलासिंह जाति लबाना सिख,
2. हरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री करेलासिंह जाति लबाना सिख,
3. जसवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री करेलासिंह जाति लबाना सिख निवासीयान ग्राम दोगडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 वारिस काबिज जायदाद मृतक करेलासिंह पुत्र बालूसिंह जाति लबाना सिख निवासी ग्राम दोगडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. फत्तन पत्नि श्री अतरू जाति मेव निवासी ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0,।

.....असल रेस्पोडेण्ट

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर राज0।

.....तकमीली रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री मनजीत सिंह, अभिभाषक अपीलांट ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.11.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 22.09.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी 709/0.6100, 697/0.3000, 698/0.2900, 941/0.1000, 701/1.1100, 684/0.7600, 705/0.6800, 942/0.2400, 940/0.1400, 696/0.4300, 714/0.6800 हैक्टेयर वाके ग्राम दोगडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर में है। उक्त विवादित आराजीयात में से खसरा नंबर 684, 701 में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अपीलांट के पिता करेलासिंह पुत्र बालूसिंह का हित निहित है अन्य आराजी मुतनाजा की कोई लेना–देना संबंध– सरोकार नही है। असल रेस्पो0 संख्या 01 फत्तन द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त विवादित आराजीयात की बाबत अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर के समक्ष एक राजस्व वाद मय स्टे प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत दायर किया जिस वाद में से केवल आराजी खसरा नंबर 705 रकबा 0.68,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

709 रकबा 0.61 हैक्टेयर पर स्वयं का कब्जा जाहिर करते हुये इसी हद तक आराजी तकसीम कर खाता अलग करने की रिलीफ चाही गई। उक्त मुकदमा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से स्थानान्तरित होकर अदालत सहायक कलक्टर अलवर के समक्ष आया जिसमें अपीलांट के पिता करेलासिंह पुत्र बालूसिंह बतौर मुकदमा पक्षकार संख्या 4 के रूप में मुकदमा पक्षकार है। करेलासिंह के फौत की बाबत अवगत कराने के बावजूद उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की बाबत कोई कार्यवाही नही की बल्कि मरे हुये पक्षकार करेलासिंह के विरूद्ध तहत अदालत द्वारा एक्स पार्टी आदेश पारित कर दिये। तहत अदालत द्वारा असल रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.09.2017 पारित कर अपीलांट के पिता करेलासिंह को स्टे ऑर्डर से पाबन्द कर दिया। चूंकि करेलासिंह फौत हो चुके हैं जिसके अपीलांट जायंदा कानूनी वारिसान हैं, तहत अदालत के निर्णय के प्रभावी रहने से अपीलांट के हक में मृतक करेलासिंह का विरासत इंतकाल की कार्यवाही नही हो पा रही है।

उक्त निर्णय की बाद जानकारी निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी । अभिभाषक रेस्पो0 अनुपस्थित।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और कहा कि असल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तहत अदालत के समक्ष विवादित आराजीयात में से केवल खसरा संख्या 705, 709 जिस पर वो काबिज व दखल जाहिर करती है की हद तक रिलीफ चाही गई, अन्य आराजी खसरा नंबर 684, 701 जिससे असल रेस्पो0 संख्या 1 का कोई लेना देना नही है ना ही उसके हक व हिस्से कब्जे की आराजी है। आराजी खसरा नंबर 684, 701 को असल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा मुकदमे में गलत आधार पर विवादित बनाया है। तहत अदालत को असल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाहा गया अनुतोष यानि खसरा नंबर 705, 709 की हद तक ही निर्णय पारित करना चाहिये था। असल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दायर मुकदमा जो तहत अदालत के समक्ष लंबित है, में अपीलांट के पिता करेलासिंह मुकदमा पक्षकार है जिनका दौराने दावा देहान्त हो चुका है।जिसकी सूचना तहत अदालत को देने के बावजूद भी वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही नही की ना ही असल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु कोई प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष पेश किया। मृतक करेलासिंह की मृत्यु को लंबा समय हो जाने के कारण मुकदमा असल रेस्पो0 स्वतः अबेट हो गया लेकिन इसके बाबजूद भी तहत अदालत द्वारा मृतक करेलासिंह के विरूद्ध एक्सपार्टी की कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि मृतक करेलासिंह जो कि अपीलांट के पिता हैं, निर्णय के प्रभावी रहने से अपीलांट के हक में उनका विरासत इंतकाल नही खुल रहा है जिसके अभाव में अपीलांट को भारी मानसिक वेदनायें हो रही हैं क्रेडिट कार्ड आदि प्राप्ति में अडचनें आ रही हैं। अपने समर्थन में उन्होंने आर.आर.डी 1998 पेज 79, आर.आर.डी 2003 पेज 78, आर.आर.डी 2003 पेज 310, आर.आर.डी 2011 पेज 19 पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली व अपील के तथ्यों एवं रेकार्ड का अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं पर भी गौर किया । प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया।

तहत अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 4 करेलासिंह के फौत दिनांक 04.09.2012 को हो जाने के बाद बिना कायम मुकाम किये, वारिस लिये बिना ही उसके विरूद्ध भी आदेश जारी कर दिया जो कि एक विधिक त्रुटि है।

इसके अतिरिक्त एडीजे कोर्ट के आदेश दिनांक 24.07.13 के तनकी संख्या 4 में फत्तन के पक्ष में जो रजिस्ट्री करवाई गई थी, उसने फत्तन को बोनेफाईड परचेजर विदआउट नोट नही होना माना, जो उक्त बयनामा वाद के दौरान हुआ था। उस वाद (न्यायालय एडीजे–1 किशनगढबास जिला अलवर दीवानी दावा संख्या 47/98, (65/2011) में प्रतिवादी संख्या 08 फत्तन का बयनामा वादी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही माना गया है। परन्तु यहां यह महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वादिनी का दावा अधीनस्थ न्यायालय में केवल धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम का है। वादिनी रिकॉर्डेड सहखातेदार है।

अपीलांट ने अपने पक्ष में जो दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं वे इस मामले में पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं

i.e. No injunction can be passed against a co-tenant enjoying undivided share purchaged.

There is no bar to transfer or alienate the interest of khatedar tenant. Appellant cannot be injuncted through injunction to sale the land to the extent of his share.

प्रकरण में अपीलांट करेला सिंह के वारिसान हैं जो उन्होंने शपथ पत्र से साबित किया है। वे विवादित आराजियात में उनके पिता के स्थान पर वारिस के रूप में सहकृषक हैं। सहकृषकों के विरूद्ध स्थगन जारी नही किया जा सकता है परन्तु तहत अदालत द्वारा उक्त स्थापित विधि सिद्धान्तों को दृष्टिगत नही रखा गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है तहत अदालत सहायक कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 22.09.2017 निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट /वारिसान के नाम, करेलासिंह जो कि अपीलांट के पिता थे, के स्थान पर दर्ज किये जावें।अपीलांट उनके हक हिस्से तक बिना विशिष्ट भाग के रहन, बय करने के लिये स्वतंत्र हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.11.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)